सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 312/21 **दिनांक- 30 जून 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- मेंहनगर

भैस चोरी करने वाला चोर हुआ गिरफ्तार

श्री दूधनाथ यादव पुत्र स्व0 बलिकरन यादव सा0 लोहानपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 03.06.2021 को मेरी भैंस को अज्ञात चोरो ने चोरी कर लिया। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 113/21 धारा 379 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री पंकज सिंह यादव के द्वारा की जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के निर्देशन में प्र0नि0 मेंहनगर श्री सुनील चन्द्र तिवारी के नेतृत्व में दिनांक 30.06.2021 को उ0नि0 पंकज यादव रवाना होकर देखभाल क्षेत्र लंवित विवेचना तलाश वाछित व चेकिग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन में मामूर था कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि आपके थाने पर भैस चोरी के मुकदमे का वांछित अभियुक्त अफसाद पुत्र मुस्तफा सा0 फत्तेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ गुरेहथा गेट पर खडा है तथा कही जाने कि फिराक मे है इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराह हे0का0 देवेन्द्र राय , का0 धूपसागर यादव , का0 इन्द्रेश दूबे द्वारा मुखबीर के बताये गये स्थान गुरेहथा गेट पहुचकर एका एक अभियुक्त के पास पहुचे तो आचानक से पुलिस बल को देखकर उक्त व्यक्ति घबराकर भागना चाहा कि गुरेहथा गेट पर समय 08.10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को उसके अपराध से बोध कराकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 113/21 धारा 379भादवि थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 113/21 धारा 379भादवि थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 144/19 धारा 379/504/506 भादवि थाना मेहनगर जनपद आजमगढ।
3. मु0अ0सं0 200/19 धारा 379/411 भादवि
4. मु0अ0सं0 204/19 धारा 379/411/413/414/420 भादवि
5. मु0अ0सं0 143/17 धारा 379/441भादवि

गिरफ्तार अभियुक्तगण

अफसाद पुत्र मुस्तफा सा0 फत्तेपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 पंकज सिंह यादव , हे0का0 देवेन्द्र राय , का0 धूपसागर यादव , का0 इन्द्रेश दुबे थाना मेहनगर जनपद आजमगढ।

थाना कोतवाली

दो जालसाज *अभियुक्त* गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल पर्वेक्षण व प्रभारी निरीक्षक के.के. गुप्ता के नेतृत्व में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली पर अलग –अलग टीम गठित कर अपराध/अपराधियो की धड़ पकड़ करने हेतु हेतु लगातार प्रयास जारी है। उसी के क्रम में -

आज दिनांक 30.6.21 को उ0नि0 कमलनयन दुबे प्रभारी चौकी बलरामपुर मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दूसरा व्यक्ति बनकर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जेल में निरुद्ध अभियुक्तों की जमानत लेने के आशय से जमानतदारो द्वारा फर्जी कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जमानतदार सत्यापन व दस्तावेज सत्यापन के दौरान चौकी बलरामपुर से दो जालसाज अभियुक्तों को समय 11.10 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

मु0अ0सं0 194/21 धारा 419,420,468,471 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. हरिश्चन्द्र पुत्र श्याम नरायन निवासी ममरखापुर थाना कोतवाली आजमगढ़,
2. देवनाथ यादव पुत्र रासदेव यादव निवासी मोजरापुर थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. *उ0नि0 कमलनयन दुबे*
2. *हे0का0 महेन्द्र यादव,*
3. *हे0का0 जगमोहन,*
4. *का0 सोनू यादव,*
5. *का0 सुदीप कुमार यादव*

समस्त चौकी बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना तरवाँ

01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्त/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल निर्देशन में आज दिनाक 30.06.2021 को प्रभारी निरीक्षक तरवां स्वतंत्र कुमार सिंह मय हमराही के बिनावर देखभाल क्षेत्र पेंण्डिंग विवेचना व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाये जा रहे वांछित /वारंटी के गिरफ्तारी के अभियान के आदेश के अनुपालन में रवाना होकर चौकी रासेपुर पर मौजूद था s कि वही मुखबिर खास आकर बताया कि साहब मु0अ सं 80/21धारा 498 A/304B IPC व ¾ DP Act से संबंधित महिला अभियुक्ता कवलपति उर्फ कल्पति पत्नी राजेश राम इस समय रासेपुर तिराहे पर खड़ी है जो कहीं जाने के चक्कर में साधन का इंतजार कर रही है कि मुखबिर खास की बातों पर विश्वास करके प्रभारी निरीक्षक मय महिला आरक्षी के साथ पैदल ही मुखबिर को साथ लेकर रासेपुर तिराहे के लिए चल दिये रासेपुर तिराहे पर एक महिला खड़ी थी जिसकी तरफ इशारा करके मुखबिर खास हट बढ़ गया तभी तिराहे पर खड़ी उपरोक्त महिला की निगाह पुलिस टीम पर पड़ गई और चिरैयाकोट की तरफ मुड़कर तेज कदम से बढ़ने लगी तभी म0 आरक्षी की मदद से घेरकर तिराहे से 10 -20 कदम जाते-जाते पकड़ लिया गया । महिला आरक्षी द्वारा उक्त महिला का नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम श्रीमती कवलपति उर्फ कल्पति पत्नी राजेश राम निवासी मुसवां हाल पता रासेपुर कस्बा थाना तरवां आजमगढ बतायी जो मु0अ सं 80/21धारा 498A/304B IPC व ¾ DP Act में वांछित अभियुक्ता है को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.30 बजे महिला आरक्षियों द्वारा हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ सं 80/21धारा 498A/304B IPC व ¾ DP Act थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्ता

श्रीमती कवलपति उर्फ कल्पति पत्नी राजेश राम निवासी मुसवा हाल पता रासेपुर कस्बा थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

प्रभारी निरीक्षक तरवां स्वतंत्र कुमार सिंह मय हमराह

थाना रानी की सराय

आत्महत्या के लिए उकसाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.12.2020 को हरिनाथ पुत्र मुखराज ग्राम दिलौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र बावत खुद की बेटी उम्र 18 वर्ष के साथ बगल का लड़का किशन पुत्र कन्हैया द्वारा शादी का झासा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना तथा 11.12.2020 को भी उसके द्वारा शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाना जब मेरी लड़की द्वारा शादी का दबाव बनाया जाना लगा तो जान से मारने की धमकी देना व दिनांक 13.12.2020 को पंचायत बुलाने पर किशन द्वारा शादी से इनकार कर देना व मेरी लड़की द्वारा किशन से यह कहना कि मेरी इज्जत का क्या होगा तो किशन द्वारा यह कहना कि अगर तुम्हारी इज्जत इतनी प्यारी है तो जाकर मर जाओ इस पर मेरी लड़की द्वारा फाँसी लगाकर आत्महत्या करने के सम्बन्ध मे दाखिल किया गया दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 183/2020 धारी 306 भा0द0वि0 बनाम किशन पुत्र कन्हैया ग्राम दिलौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी/की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह का0 अजीत कुमार यादव द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 183/2020 धारा 306 भा0द0वि0 में नामजद वांछित अभियुक्त किशन पुत्र कन्हैया ग्राम दिलौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को मूखबीरी सूचना पर आज दिनांक 30.06.2021 को समय करीब 10.15 बजे चेकपोस्ट से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 183/2020 धारा 306 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

किशन पुत्र कन्हैया ग्राम दिलौरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 संजय कुमार सिंह व का0 अजीत कुमार यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

थाना- रानी की सराय

एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 29.06.2021 को वादी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र बावत खुद की पोती उम्र 19 वर्ष बाहर खड़ी थी तभी रूदरी गांव के राहुल राजभर पुत्र अमेरिकन राजभर द्वारा छेड़खानी करने के सम्बंध में एक किता प्रार्थना पत्र दाखिल किया कि दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 74/2021 धारा 354 भा0द0वि0 बनाम राहुल राजर पुत्र अमेरिकन राजभर ग्राम रूदरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी/की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव मय हमराहीयान द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2021 धारा 354 भा0द0वि0 में नामजद वांछित अभियुक्त राहुल राजभर पुत्र अमेरिकन राजभर ग्राम रूदरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को मूखबीरी सूचना पर आज दिनांक 30.06.2021 को समय करीब 11.10 बजे ऊंचीगोदाम बाजार से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 74/2021 धारा 354 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

राहुल राजभर पुत्र अमेरिकन राजभर ग्राम रूदरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव, हे0कां0 दयाशंकर मिश्र, हे0कां0 महेशदत्त द्विवेदी, म0कां0 प्रियंका तिवारी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

थाना- महराजगंज

फर्जी तरीके से दस्तावेजो का कूटरचित व छल करके शिक्षक के पद पर नौकरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम मे **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.06.21 को प्र0नि0 गजानन्द चौबे के नेतृत्व में निरीक्षक थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारंटी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, क्षेत्र गस्त तथा पेंडिंग विवेचना व वाँछित/वारण्टी व जिलाबदर अभियुक्तो की गिरफ्तारी के चलाये गये अभियान के क्रम में सरदहा बाजार मे मामूर थे कि जरिये मुखबीर व मु0अ0सं0 104/21 धारा 419 , 420, 467, 468, 471 IPC मुकदमे के गवाह संजय सिंह द्वारा सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश कुमार यादव पुत्र स्व0 रामबेलास यादव सा0 मड़या थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर, जो सरदहा ग्रामीण बैंक पर अपने खाते से सम्बन्धित काम के लिए आया है बैंक के बगल में चाय की दुकान पर बैठा हुआ है, मुखबीर खास व गवाह की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल गवाह संजय सिंह के साथ बउम्मीद गिरफ्तारी छिपते छिपाते ग्रामीण बैंक के पास पहुची, गवाह दूर से ही चाय की दुकान पर बेंच पर बैठे व्यक्ति की ओर इशारा करके बताया कि साहब यही वह व्यक्ति है जो मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ाता था, जो मुकदमा लिखे जाने के बाद फरार हो गया था और हट बढ़ गया। पुलिस टीम द्वारा बेंच पर बैठे व्यक्ति को एकबारगी घेरकर मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम राजेश कुमार पुत्र रामदुलारे सा0 मड़याथाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर बताया। जिससे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो अपनी गलती स्वीकार करते हुए अपना नाम व पता राजेश कुमार यादव पुत्र स्व0 रामबेलास यादव सा0 मड़या थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर बताया। जिसकी जामा तलाशी से बाये हाथ में लिए प्लास्टिक की पन्नी में फोटो काफी स्व0 प्रमाणित राजेश कुमार हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के अंक पत्र व प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 बोर्ड द्वारा जारी जिस पर राजेश कुमार यादव पुत्र रामबेलास यादव अंकित है तथा उ0प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र जो तहसीलदार तहसील खलीलाबाद द्वारा दिनांक 09/12/1994 को जारी किया गया है जिस पर राजेश कुमार पुत्र रामबेलास सा0 मड़या तहसील खलीलाबाद जाति अहीर जिला बस्ती अंकित है, मिला जिसके बारे में कह रहा है कि यह मेरा प्रमाण पत्र है जिसे कब्जा पुलिस में लिया गया। पकड़ा गया व्यक्ति मुकदमा उक्त का नामित एवं धारा 419 , 420, 467, 468, 471 IPC का वांछित अभियुक्त है। उपरोक्त अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर समय करीब 09.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- बदरियाफ्त राजेश कुमार यादव पुत्र स्व0 रामबेलास यादव सा0 मड़या थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर पूछने पर बता रहा है कि मेरी उम्र 38 वर्ष है , शिक्षा बीए प्रथम वर्ष, पूछने पर बता रहा है कि मैंने हाईस्कूल 1995 में हीरालाल रामनिवास इण्टर कालेज खलीलाबाद व इण्टर वर्ष 1997 में उपरोक्त विद्यालय से पास करने के बाद वीए प्रथम भी उसी विद्यालय से किया हूँ। मैं बाबा पर्वतनाथ विद्यालय में कक्षा 01 से कक्षा 05 तक पढ़ा रहा था। मेरे पिता खलीलाबाद टीचर्स कालोनी के पास चाय की दुकान खोले थे। चाय की दुकान पर ढेर सारे अध्यापक कालोनी के आते जाते रहते थे। जिसमें से एक साहबराम तिवारी थे। जिनसे मेरे पिता काफी घनिष्ठ थे। जिनसे मेरी नौकरी की चर्चा करते थे। दिसम्बर 2010 में मेरे पिता तीन प्रति में आजमगढ़ तत्कालीन वीएसए श्री शिवचन्द राम के आदेश से जारी नियुक्ति पत्र मुझे दिये और कहे कि जाओ सीधे प्राथमिक विद्यालय भीलमपुर शिक्षा खण्ड महराजगंज आजमगढ़ पर ज्वाइन करो। जब मैंने अपने पिताजी से कहा कि न तो मैं बीएड किया हूँ और न पढ़ाने की ट्रेनिंग लिया हूँ तो मेरे पिताजी ने कहा कि आजमगढ़ के बीएएसए आफिस के बाबूओं से बातचीत हो गयी है जो पैसे की लेनदेन थी, वह मैने दे दिया। तभी नियुक्ति पत्र मिला है। कोई समस्या आयेगी तो फिर वही बात होगी। मैं ज्वाइन करने के बाद से प्राथमिक विद्यालय भीलमपुर पर पढ़ाता रहा। जुलाई अगस्त के माह में मुझे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक पत्र मिला। जिसमें शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्रो के साथ उपस्थित अपने समक्ष होने के लिए कहा गया था लेकिन मैं गलत था। जांच होने के बाद मै मौके पर ही पकड़ जाता। इसलिए मैं विद्यालय छोड़कर भाग गया। अपने किये हुए कार्यों की शर्मिंदगी महसूस

कर रहा हूँ। इस प्रकार अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपना सफाई बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में देना बता रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 104/21 धारा 419, 420, 467, 468, 471 IPC

गिरफ्तार अभियुक्त

राजेश कुमार यादव पुत्र स्व0 रामबेलास यादव सा0 मड़या थाना खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व मैं निरीक्षक विमलेश मौर्या मय हमराह का0 रणजीत सिंह व का0 सोनू कुमार

थाना- महराजगंज

छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

महिला सम्बन्धित संगीन अपराधो पर रोकथाम लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.06.21 को प्र0नि0 गजानन्द चौबे के नेतृत्व में उ 0नि0 मय हमराहीयान कर्मचारीगण के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र , जाँच प्रा0 पत्र व वांछित आरोपी की गिरफ्तारी व पेंडिंग विवेचना मु 0अ0सं0 196/2021 धारा 354, 504, 506 IPC में मामूर थे कि मुखबिर खास मिला बताया कि साहब मुकदमा मु 0अ0सं0 196/2021 धारा 354, 504, 506 IPC एक्ट से संबंधित सम्बन्धित अभियुक्त राहुल गोस्वामी पुत्र बृजभान सा 0 अराजी मलहपुरवा थाना महराजगंज आजमगढ़ , मलहपुरवा ढ़ाला पर मौजूद हैं , कहीं जाने की फिराक मे खड़ा है उक्त सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मुखबिर खास के साथ बउम्मीद गिरफ्तारी छिपते छिपाते मलहपुरवा ढ़ाला आयी जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। मुखबिर खास इशारा करके हट बढ़ गया कि पुलिस टीम द्वारा खड़े हुए व्यक्ति को एकबारगी घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम राहुल गोस्वामी पुत्र बृजभान गोस्वामी सा 0 आराजी मलहपुरवा थाना महराजगंज आजमगढ़ बताया। पकड़े गया व्यक्ति मुकदमा उक्त का नामित एवं धारा 354, 504, 506 IPC का अभियुक्त है। कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर समय करीब 10.05 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 196/2021 धारा 354, 504, 506 IPC

गिरफ्तार अभियुक्त

राहुल गोस्वामी पुत्र बृजभान सा0 अराजी मलहपुरवा थाना महराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व में SI हौसिला प्रसाद सिंह मय हे0का0 रमेश कुमार व हे0का0 संतोष यादव

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 22 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।